न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 60/2019 (250/2020) उनवान अनोप बनाम अम्बालाल ::

1. अनोप देवी पुत्री धूकल पत्नी स्व. भोपाल जाति रेबारी निवासी ग्राम बालापुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान। --प्रार्थीया

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र हरदीन आयु वयस्क
2. छोटी पत्नी स्व. हंसराज आयु वयस्क
3. सोहनी पत्नी किशनलाल आयु वयस्क
4. बदाम पत्नी शोदान आयु वयस्क
5. प्रेम पत्नी प्रहलाद आयु वयस्क
6. संतोख पत्नी प्रताप आयु वयस्क
7. मेहराम वल्द हेमा आयु वयस्क सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम बालापुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
8. श्रीमति मूली पत्नी पाचू पूरी आयु वयस्क
9. सकराम पूरी पुत्र पाचू पूरी आयु वयस्क
10. श्योजी पूरी पुत्र पाचू पूरी आयु वयस्क
11. सुशीला पुत्री पाचू पूरी आयु वयस्क
12. प्रेम पुत्री पाचू पूरी आयु वयस्क
    सर्व जाति गुसाई सर्व निवासी ग्राम काकलवाडा, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
13. मूला पुत्र सुखदेव जाति जाट आयु वयस्क निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
14. लादू पुत्र देवा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
15. गंगल्या पुत्र धन्ना जाति बागरिया आयु वयस्क निवासी ग्राम काकलवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर।
16. चन्द्र कंवर पत्नी भरतसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी ग्राम काकलवाडा, तहसील अरांई
17. श्योजी पुत्र मूला आयु वयस्क जाति जाट
18. मोती पुत्र मूला आयु वयस्क जाति जाट
19. जतन पुत्र मूला आयु वयस्क जाति जाट सर्व निवासी बालापुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
20. सूरता पत्नी रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
21. रतना पुत्र लादू जाति जाट आयु वयस्क।
22. रामकरण पुत्र लादू जाति जाट आयु वयस्क।
23. छीतर पुत्र हरकरण जाति जाट आयु वयस्क।
24. राजी पुत्री हरकरण जाति जाट आयु वयस्क सर्व निवासी ग्राम काकलवाडा तहसील अरांई।
25. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 02.03.2023

प्रार्थीया की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री अब्दुल हफीज ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 08.03.2019 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 60/2019 .पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। 19.06.2019 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 की और से कोई उपस्थित नहीं होनें से दिनांक 19.06.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 23 व 24 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। उपखण्ड कार्यालय अराई नवसृजित होने पर पत्रावली स्थानान्तरण से उपखण्ड न्यायालय किशनगढ से प्राप्त की जाकर नवीन क्रमांक 250/2020 पर दर्ज की गई।

अप्रार्थी संख्या 23 व 24 कर ओर से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 05.09.2019 को वकालतनामा पेश किया गया किन्तु दिनांक 24.02.2023 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 23,24,25 के जवाब का अवसर बन्द किया गया तथा प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 348 रकबा 25 बीघा किस्म बंजर दोयम है तथा उक्त भमि पर प्रार्थीया वर्षो से काबिज काश्त है तथा मौके पर राजस्व रिकार्ड में मानचित्र के अनुसार ही काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त भुमि से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। चारो सीमाओं पर निम्नानुसार अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि है खसरा संख्या 345/1, 345/2, 346,347, 349/3 व 350 स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:48 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 24 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीया की एकल खातेदारी की भूमि की सीव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीया की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

एक गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करती है जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 348 रकबा 25 बीघा किस्म बंजर दोयम का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीया के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 348 रकबा 25 बीघा किस्म बंजर दोयम स्थित है। प्रार्थीया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 348 रकबा 25 बीघा किस्म बंजर दोयम है तथा उक्त [illegible] प्रार्थीया वर्षों से काबिज काश्त है तथा मौके पर राजस्व रिकार्ड में मानचित्र के अनुसार ही [illegible] चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त भुमि से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व [illegible] नहीं है। [illegible] सीमाओं पर निम्नानुसार अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि है खसरा संख्या 345/1, 345/2, 346,347, 349/3 व 350 स्थित है। अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 24 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीया की एकल खातेदारी की भूमि की सींव [illegible] पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीया की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीया एक गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करती है जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 348 रकबा 25 बीघा किस्म बंजर दोयम का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीया के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

हमारे द्वारा प्रार्थीया की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया, अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा भू.अ.नि. लाम्बा तहसील अरांई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 348 रकबा 25 बीघा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2071 –74) भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/–रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.3.23 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:25:48 IST
Reason: SelfAttested